

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/24/2020

सिद्धार्थ मीना द्वारा हुकमसिंह ,डी-156,जवाहर नगर,भरतपुर (राज0)

बनाम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 02.03.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त सिद्धार्थ मीना द्वारा हुकमसिंह ,डी-156,जवाहर नगर, भरतपुर (राज0) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 10.12.2019 को द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/110 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/ 1514 दिनांक 24.02.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/1514 दिनांक 24.02.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर ने अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/10825 दिनांक 24.12.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलान्त को उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी,भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)

जिला कलक्टर

भरतपुर

